अध्याय 15

सतर्कता

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

सतर्कता

कार्य

कोयला मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठनों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और उसकी 8 सहायक कंपनियों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से संबंधित सतर्कता मामलों के अलावा मंत्रालय में सतर्कता प्रशासन की निगरानी करता है। मंत्रालय का सीवीओ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), डीओपी एंड टी तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ सतर्कता मामलों पर मिल कर काम करता है।

संगठन में प्राप्त शिकायतों पर सीवीसी की 'कम्पलेंट हैंडलिंग पॉलिसी' के अनुसार कार्रवाई की जाती है और कंपनी के कर्मचारियों के सुग्राहीकरण हेतु शिकायतों की प्राप्ति से निपटान तक औचक जांच, नियमित जांच, गुणवत्ता जांच–, अनुवर्ती जांच–पड़ताल एवं सीटीई किस्म की जांच जैसी पूर्व कार्रवाई, निवारण और दंडात्मक ढंग से कम्पलेंट ट्रैकिंग सिस्टम (सीटीएस) का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की जाती है।

सतर्कता अनुभाग में वर्ष 2018 (01.01.2019 से 31.12.2019 तक) के दौरान निपटाए गए सतर्कता संबंधी मामलों तथा लंबित मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

स्रोत	शुरुआती शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटान	शेष	अवधि–वार लंबित (महीना) <1 1-3 3-6 >6			
सीवीसी	2	4	6	3	3	1	1	0	1
अन्य	150	489	639	491	148	59	84	5	2

सतर्कता संबंधी लंबित मामलें एमपी, एमएलए तथा आम जनता द्वारा कोयला मंत्रालय, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, सीएमपीएफओ और सीसीओ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति, विभिन्न निविदाएं प्रदान करने, कोयले की चोरी, मुआवजे के संबंध में भ्रष्टाचार आदि के संबंध में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

संगठन की संरचना

मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला नियंत्रक संगठन के सतर्कता स्कन्धों के सीवीओ प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। संगठनों के बोर्ड स्तर से निचले अधिकारियों के सतर्कता मामलों की जांच संबंधित कंपनी के सीवीओ द्वारा की जाती है तथा बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में कंपनी के सीवीओ सीवीसी के परामर्श से तथ्यात्मक रिपोर्टें उपयुक्त कार्रवाई हेतु मंत्रालय को भेजते हैं।

सतर्कता जागरूकता का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह "ईमानदारी एक जीवन शैली" ''इंटेग्रिटी–ए वे ऑफ लाइफ'' नामक विषय पर दिनांक 28.10.2019 से 02.11.2019 तक मनाया गया।

इस जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता संबंधी मसलों पर जागरूकता सृजित करने के लिए मंत्रालय और सभी सहायक कंपनियों में भी प्रतिज्ञा, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई।

समीक्षा/निगरानी तंत्र

सतर्कता मामलों तथा आईटी पहलों के कार्यान्वयन से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं। एक बैठक दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान नई दिल्ली में दिनांक 01.08.2019 को जेएस एवं सीवीओ, एमओसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीवीसी के अधीन वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 18.09.2019 को कोयला क्षेत्र के सीवीओ के साथ कोलकाता में किया गया था।

प्रणाली सुधार उपाय

इममूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न (आईपीआर) ऑनलाइन जमा करने, अधिकारियों के संवेदनशील पदों से असंवेदनशील पदों पर

रोटेशनल ट्रांसफर आदि में सभी संगठन सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा, किए गए अन्य प्रणाली सुधार सुझाव निम्नानुसार हैं :–

i. आईटी पहलों को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों के कार्यपालकों की भूमिका और जिम्मेदारी का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए एसओपी जारी किया जा चुका है।

आईटी पहलों का कार्यान्वयन

कोयले की चोरी तथा उठाईगिरी को रोकने, वास्तविक डाटा प्राप्त करने एवं प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए, जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम की एकीकृत प्रणाली को व्यापक एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के माध्यम से तुलन सेतुओं, सामग्री भंडारों, प्रवेश/निकास स्थलों, स्टाकयार्ड, साईडिंग्स, विस्फोट मैगजीन आदि जैसे अति संवेदनशील स्थलों से जोड़ने की सीआईएल की सभी कंपनियों में परिकल्पना की गई तथा इसे कार्यान्वित किया गया है। 31 दिसम्बर, 2019 तक की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	मद का नाम	आवश्यकता	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन स्थिति	अतिरिक्त स्थापनाएं
1.	जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली	8689	8689	विभागीय एचईएमएमए सर्विस वाहनों और हल्के वाहनों में एमसीएल और सीसीएल में अतिरिक्त स्थापनाएं।
2.	सीसीटीवी द्वारा इलैक्ट्रानिक निगरानी	4037	3831	कोयले के ढेर और अन्य संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए गए हैं।
3.	आरएफआईडी आधारित वूम बेरियर्स एंड रीडर्स	623	623	बूम बेरियर एवं आरएफआईडी रीडर्स।
4.	तौलसेतु की स्थिति	922	895	खानों के विस्तार के कारण अतिरिक्त डब्ल्यूबी की आवश्यकता।
5.	वाइड एरिया नेटवर्किंग	1269	1242	–
6.	कोलनेट के कार्यान्वयन की स्थिति	50	47	कोल इंडिया में एसएपी–ईआरपी का कार्यान्वयन किया जा रहा है।